न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/179/2025	2025/419	22.12.2025	05.01.2026

1. बोदन राम मीणा पुत्र श्रवणलाल मीणा, उचित मूल्य दुकानदार 1/2 भाग पॉस कोड 16700 ग्रा0पं. खेडामंगलसिंह, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर (राज0)।

—अपीलान्ट

बनाम

1. जिला रसद अधिकारी, अलवर (राज0)।

—रेस्पाडेन्ट

अपील अर्न्तगत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ का विनियम आदेश, 1976 एवं जिला रसद अधिकारी अलवर का पारित निर्णय दिनांक 29.07.2025 प्र0सं0 35/2023

उपस्थितः—
01. श्री श्योराम सिंह नरूका —वकील अपीलान्ट
02. श्री विभागीय पैरोकार —रैस्पोडेन्ट

——:: निर्णय ::——

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी, अलवर के निर्णय दिनांक 29.07.2025 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 446/1989, पॉस मशीन कोड सं 16700 को निरस्त करने के आदेश दिये गये है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर रैस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

विद्वान वकील अपीलाण्ट एवं विभागीय पैरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपने बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा दिनांक 29.7.2025 को प्रकरण सं. 35/2023 बअनुवान सरकार बनाम बोदन राम मीणा, उ.मू.दु. में यह निर्णय पारित किया है कि "अतः श्री बोदन राम मीणा, उचित मूल्य दुकानदार पोस कोड 16700, ग्राम पंचायत खेडामंगलसिंह, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर को जारी प्राधिकार पत्र की समस्त देनदारियां लम्बित रखते हुए निरस्त किया जाता है। उक्त उचित मूल्य दुकान की जमा समस्त प्रतिभूति राशि जप्त सरकार की जाती है। साथ ही प्रवर्तन अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ को पृथक से निर्देश जारी किए जाते हैं कि वह अप्रार्थी डीलर के पास उपलब्ध गेहूं को उपभोक्ताओं में वितरण कराया जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। आदेशों की अवहेलना किए जाने के फलस्वरूप अप्रार्थी डीलर के विरूद्ध श्रीमान उपायुक्त (द्वितीय) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राज० जयपुर के द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 77 (13) खावि/न्याय/2012—11 जयपुर दिनांक 27.01.2021 के परिप्रेक्ष्य में अप्रार्थी डीलर द्वारा गबन की गई राशन सामग्री की शेष मात्रा की राशि की वसूली की कार्यवाही पी.डी.आर. एक्ट 1952 के अन्तर्गत किये जाने की कार्यवाही पृथक से अमल में लाई जावे। अप्रार्थी डीलर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम कर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।" जिससे व्यथित होकर यह अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

उज्रात अपील इस प्रकार पेश है कि — कार्यालय जिला रसद अधिकारी, अलवर के निर्णय दिनांक 29.7.2025 के विरूद्ध अपील हाजा पेश की जा रही है, जिस निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 28.11.2025 को मातहत जिला रसद अधिकारी कार्यालय में आने पर हुई, जिस पर आलोच्य एकपक्षीय निर्णय की प्रति वास्ते विधिवत आवेदन पेश किया गया जिस पर नकल दिनांक 01.12.2025 को प्राप्त हुई जिस पर अपील हाजा बिना किसी देरी के पेश की जा रही है। आलोच्य निर्णय दिनांक 29.07.2025 की जानकारी दिनांक 28.11.2025 तक का समय

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

लाईल्मी करार दिया जाकर अपील अन्दर अवधि करार दिये जाने योग्य है। रफाये हुज्जत पृथक से दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

अपीलान्ट के विरूद्ध प्रवर्तन निरीक्षक लक्ष्मगणढ़ द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर दिनांक 20.12.2023 को गेंहू का स्टॉक कम होना दर्ज करते हुए जांच रिपोर्ट तैयार की गई। जिस जांच रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 02.05.2024 को कारण बताओ नोटिस अपीलान्ट के विरूद्ध जारी किया गया था, जिस कारण बताओ नोटिस का जवाब मिन अपीलान्ट के द्वारा विस्तृत तथ्यों पर दिनांक 13.5.2024 को मातहत जिला रसद अधिकारी के समक्ष पेश कर दिया गया था और यह निवेदन किया गया था कि अपीलान्ट की पॉस मशीन के स्टॉक में जो गेहूं दर्ज है, वो ही गेहूं अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान व उसके गोदाम में मौजूद है। क्योंकि जिस समय जांच की गई थी उस समय अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान में मरम्मत का कार्य चल रहा था तथा उचित मूल्य दुकान की बगल में ही अपीलान्ट का रिहायशी मकान था, जिस मकान में उचित मूल्य सामग्री के स्टॉक का गेहूं रखा हुआ था, जिस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा तीन सदस्यीय कमेटी कृष्ण कुमार बायला, अमित कुमार यादव व अशोक कुमार शर्मा प्रवर्तन अधिकारियों से अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान का भौतिक सत्यापन एवं जांच वास्ते आदेश दिनांक 14.7.2025 को जारी किये गये, जिस पर अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान पर दिनांक 15.7.2025 को उक्त 03 सदस्यीय समिति/दल द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया, जो तथ्य गौर श्रीमान है।

उक्त 03 सदस्यीय समिति/दल द्वारा दिनांक 15.7.2025 को अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान की जांच की जाकर स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें अपीलान्ट के पॉस कोड सं. 16700 पर जारी पॉस मशीन में दर्ज सभी योजनाओं का गेंहू का स्टॉक 44653.770 किग्रा होना पाया गया। दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर गोदाम में प्लॉस्टिक बारदाना के 893 कटटो में 50 किग्रा प्रति कटटा औसत भार से 44650 क्रिगा तथा 3.770 किग्रा गेहूं खुले में भण्डारित होना पाया गया, जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट की पॉस मशीन में जितना स्टॉक था, उतना स्टॉक भौतिक रूप से उचित मूल्य दुकान व गोदाम में मौजूद था। इस प्रकार अपीलान्ट के विरूद्ध कोई गबन का आरोप प्रमाणित नहीं होता है। जब अपीलान्ट पर उचित मूल्य सामग्री का किसी प्रकार का रिकार्ड कम नहीं है तो अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र विधि विरूद्ध तरीके से निरस्त किया गया है जिस कारण से आलोच्य निर्णय दिनांक 29.7.2025 काबिल निरस्तनीय है एवं स्वीकार किये जाने योग्य अपील हाजा है।

मातहत अधिकारी द्वारा आलोच्य निर्णय में यह दर्ज किया गया है कि दिनांक 30.4.2025 के पश्चात उचित मूल्य दुकानदार ने अटैचमेन्ट डीलर को अवशेष स्टॉक भौतिक रूप से नहीं संभलवाकर आदेशों की अवहेलना की गई है। यहां गौर श्रीमान है कि आलोच्य निर्णय के पेज नं. 2 पर मातहत अधिकारी ने प्रवर्तन अधिकारी लक्ष्मणगढ़ की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर जिला रसद अधिकारी के आदेश दिनांक 15.5.2024 के द्वारा अपीलान्ट डीलर का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाकर डीलर को निर्देशित किया गया है कि वह अवशेष स्टॉक को आगामी माह में उपभोक्ताओं को वितरण किया जाना सुनिश्चित करे, जिस आदेश की पालना में अपीलान्ट द्वारा उचित मूल्य सामग्री गेंहू का पॉस मशीन के जरिये ऑनलाईन ट्रांजेक्शन, बॉयोमैट्रिक सत्यापन, ओटीपी के आधार पर उचित मूल्य सामग्री के उपभोक्ताओं को वितरण करता रहा है और अब अपीलान्ट की पॉस मशीन के स्टॉक में कोई गेहूं नहीं है, स्टॉक शून्य है व स्टॉक में अपीलान्ट के पास कोई उचित मूल्य सामग्री मौजूद नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट ने कोई अनियमितता नहीं की है, ना ही कोई गबन किया है, जिस कारण से आलोच्य निर्णय दिनांक 29.07.2025 काबिल निरस्तनीय है एवं स्वीकार किये जाने योग्य अपील हाजा है। वर्ष 1989 से आज तक किसी भी उपभोक्ता द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध कोई शिकायत नहीं की गई है, ना ही इस प्रकरण से पूर्व अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट का उचित मूल्य सामग्री के वितरण का कार्य सदैव संतोषप्रद रहा है, जो तथ्य गौर श्रीमान है।

मिन अपीलान्ट को जो कारण बताओ नोटिस दिनांकित 02.5.2024 प्रदान किया गया था, उसमें 05 आरोप वर्णित किये गये थे, जिनका जवाब मिन अपीलान्ट द्वारा निम्न आधारों पर दिया गया –1. वक्त निरीक्षण उचित मूल्य दुकान के सूचना पट्ट पर सूचनाओं का अंकन नहीं मिला। जवाब मेरे द्वारा स्टॉक मूल्य सूची बोर्ड पर आवश्यक सूचनाओं का अंकन नियमित रूप से किया जाता है। वक्त जांच अस्पष्ट अंकन होने पर पुनः लिखवा दिया गया था। 2. मौके पर

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

आप द्वारा प्राधिकार पत्र, ई–सूची, पीडीएस कन्ट्रोल आर्डर 2015, स्टॉक रजिस्टर एवं गोदाम का नक्शा आदि प्रस्तुत नहीं किये। जवाब मेरे द्वारा प्राधिकार पत्र, ई–सूची, पीडीएस कन्ट्रोल आर्डर 2015, स्टॉक रजिस्टर एवं गोदाम का नवशा आदि वक्त जांच प्रस्तुत कर दिये थे। 3. मौके पर आप द्वारा पोस मशीन प्रस्तुत नहीं की गई। जवाब मेरे द्वारा मौके पर पोस मशीन वास्ते जांच प्रस्तुत कर दी गई थी। 4. मौके पर भौतिक सत्यापन के दौरान आप द्वारा माह सितम्बर 2023 का 1087 किग्रा एवं माह नवम्बर 2023 के पेटे 272 किग्रा गेहूं का सेंड टू पोस नहीं किया जाना पाया गया। जवाब मेरे द्वारा माह सितम्बर 2023 का 1087 किग्रा एवं माह नवम्बर 2023 के पेटे 272 किग्रा गेहूं का सेंड टू पोस समय पर करते गेहूं को उपभोक्ताओं में वितरण कर दिया गया था। 5. वक्त निरीक्षण दुकान पर कुल 40069 किग्रा गेहूं की मात्रा होनी चाहिए थी जबकि भौतिक सत्यापन के दौरान दुकान पर केवल 10600 किग्रा पाया गया। इस प्रकार मौके पर 29469 किग्रा गेहूं कम पाया गया। जवाब वक्त जांच भौतिक सत्यापन के दौरान मेरी पोस मशीन में 29469 किग्रा गेंहू कम पाया गया था जो मेरी दुकान में मरम्मत कार्य किया जा रहा था जिसके कारण मेरी दुकान के बगल में मेरे स्वयं के मकान में मात्र 29469 किग्रा गेहू रखा हुआ था जो कि वर्तमान में भी मेरे पास उपलब्ध है, जिसको मेरे द्वारा आगामी माहों में उपभोक्ताओं को वितरण कर दिया जाएगा। पोस मशनी में अंकित स्टॉक का उपभोक्ताओं को वितरण करने तक खाद्य विभाग, राजस्थान द्वारा मुझे आवंटित गेंहू की मात्रा को शून्य करा दिया जावे।

कारण बताओ नोटिस में जो आरोप विभाग द्वारा लगाये गये थे वो राजनैतिक दबाव के कारण लगाये गये है। केवल प्रकरण बनाने एंव अपीलान्ट को नुकसान पहुंचाने की नियत से प्रकरण बनाया जाकर एकपक्षीय रूप में निर्णीत किया गया है जबकि अपीलान्ट के विरूद्ध कोई गंभीर अपराध नहीं बनता है। जवाब नोटिस में वर्णित तथ्यों पर मातहत अदालत ने समुचित गौर ना कर आलोच्य निर्णय एकपक्षीय रूप में पारित किया गया है, जो कि अपास्त व अभिखण्डित फरमाए जाने योग्य है। अपीलान्ट वर्ष 1989 से उचित मूल्य दुकानदार के कार्य को पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से करता चला आ रहा है। अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त होने से अपीलान्ट के समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। उचित मूल्य सामग्री के वितरण से बनने वाली कमीशन राशि से ही अपीलान्ट स्वयं का व अपने परिवार की गुजर बसर करता है। न्यायाहित में अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाना आवश्यक है। प्राकृतिक न्याय का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी पक्षकार के खिलाफ निर्णय या फैसला देने से पूर्व समुचित सुनवाई, जवाब एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए जो मातहत जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा अपीलान्ट को प्रदान नहीं किया गया है जिस कारण से एकपक्षीय निर्णय दिनांक 29.7.2025 निरस्त फरमाये जाने योग्य है एवं अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा प्रकरण सं. 35/2023 बअनुवान सरकार बनाम बोदन राम मीणा, उ.मू.दु. में पारित एकपक्षीय निर्णय दिनांक 29.7.2025 जिसके द्वारा अपीलान्ट (पॉस कोड 16700) का प्राधिकार पत्र सं. 446/1989 विधि विरूद्ध तरीके से निरस्त किया गया है, पीडीआर एक्ट 1952 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु आदेश दिये गये है, वो निर्णय निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल करते हुए उचित मूल्य दुकान बोदन राम मीणा, उ.मू.दु., 1/2 भाग, ग्राम पंचायत खेडामंगलसिंह, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर (राज०) के उचित मूल्य सामग्री के उठाव एवं वितरण (सप्लाई) चालू करने का आदेश एवं अन्य न्यायोचित आज्ञा व आदेश जो भी अपीलान्ट के पक्ष में माननीय उचित समझे प्रदान करने की कृपा करें।

पैरोकार सरकार ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा उचित मूल्य दुकानदार खेडामंगलसिंह तहसील लक्ष्मणगढ़ के द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक प्रदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र में निहित शर्त संख्या 8, 11 एवं 18 एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों का उल्लघन कर पॉस कोड 16700 में अवशेष स्टॉक 44653.770 किग्रा गेहूं भौतिक रूप से नहीं संभलवाया जाकर राजकीय आदेशों की स्पष्टया अवहेलना करते हुए गेहूं का गबन किया गया। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 29.07.2025 के विरूद्ध दिनांक 09.12.2025 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्षों की बहस पर चिन्तन–मनन किया। प्रकरण के गुण–दोषों पर विचार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख, अधीनस्थ न्यायालय (जिला रसद अधिकारी) के निर्णय, अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा विभागीय पक्ष का गहनता से परिशीलन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट के विरूद्ध कार्यवाही का मुख्य आधार प्रवर्तन निरीक्षक की प्रारंभिक जाँच रिपोर्ट थी, जिसमें स्टॉक कम पाया गया था। किन्तु, जिला रसद अधिकारी, अलवर के स्वयं के आदेश दिनांक 14.07.2025 की अनुपालना में गठित तीन सदस्यीय समिति (श्री कृष्ण कुमार बायला, श्री अमित कुमार यादव व श्री अशोक कुमार शर्मा) ने दिनांक 15.07.2025 को अपीलान्ट की दुकान एवं गोदाम का पुनः भौतिक सत्यापन किया। इस सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार, अपीलान्ट की पॉस मशीन कोड 16700 में दर्ज स्टॉक और मौके पर भौतिक रूप से पाए गए स्टॉक 44653.770 किग्रा में कोई अन्तर नहीं पाया गया। समिति ने स्पष्ट किया है कि गोदाम में प्लास्टिक बारदाना के 893 कट्टों में और खुले में कुल 44653.770 किग्रा गेहूं उपलब्ध मिला।

जब विभाग द्वारा गठित समिति ने दिनांक 15.07.2025 को भौतिक सत्यापन में स्टॉक पूरा पाया, तो यह स्वतः सिद्ध होता है कि अपीलान्ट द्वारा राशन सामग्री का कोई गबन नहीं किया गया था। अधीनस्थ अधिकारी द्वारा पारित आलोच्य निर्णय दिनांक 29.07.2025 में, अपने ही विभाग द्वारा दिनांक 15.07.2025 को कराई गई भौतिक सत्यापन रिपोर्ट को नजरअंदाज करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। यदि निर्णय दिनांक 29.07.2025 पारित करते समय भौतिक स्टॉक पूरा था, तो गबन की संभावना समाप्त हो जाती है।

अपीलान्ट का यह तर्क विश्वसनीय प्रतीत होता है कि दुकान में मरम्मत कार्य चलने के कारण स्टॉक को सुरक्षा की दृष्टि से दुकान से सटे हुए उसके रिहायशी मकान में रखा गया था। तीन सदस्यीय समिति द्वारा स्टॉक की पुष्टि करने से अपीलान्ट के इस कथन को बल मिलता है कि सामग्री मौके पर ही उपलब्ध थी और उसे खुर्द–बुर्द नहीं किया गया था। अपीलान्ट वर्ष 1989 से उचित मूल्य दुकानदार है और उसके विरूद्ध पूर्व में कोई गंभीर शिकायत का रिकॉर्ड पत्रावली पर नहीं है। साथ ही, अपीलान्ट ने दिनांक 15.05.2024 के बहाली आदेश के उपरान्त बायोमेट्रिक सत्यापन व पॉस मशीन के माध्यम से उपभोक्ताओं को राशन वितरण किया है, जो उसकी कार्य के प्रति निष्ठा को दर्शाता है। चूंकि भौतिक सत्यापन में स्टॉक पूरा पाया गया है और गबन का आरोप तकनीकी रूप से प्रमाणित नहीं होता है, अतः पी. डी.आर. एक्ट 1952 के तहत वसूली की कार्यवाही और प्राधिकार पत्र निरस्तीकरण का आदेश अत्यधिक कठोर एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है औरजिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा प्रकरण संख्या 35/2023 में पारित आलोच्य निर्णय दिनांक 29.07.2025 को अपास्त किया जाता है। जिला रसद अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि अपीलान्ट बोदन राम मीणा, उचित मूल्य दुकानदार (पॉस कोड 16700), ग्राम पंचायत खेडामंगलसिंह, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर के प्राधिकार पत्र (446/1989) नियमानुसार बहाल किये जाने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड सहित भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)